

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर ई कारवाही बारे में टिपन्नी रीख सहित। 3
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------

17.4.17

आमिनीय उपस्थापित।
उत्तर पक्ष अनुपस्थित। नोटिस का
आमिनीय प्रतिवेदन प्राप्त।
आमिनीय दि. 26.4.17 को रखें।

26.4.17

आमिनीय उपस्थापित।
सभी अपीलकर्ता अपने विरुद्ध आमिनीय
के साथ उपस्थित विपक्षी की कोर्ट कमालसाम
एवं उत्तर दी गई। उत्तर पक्ष की कोर्ट से एक
अनुमति प्राप्त आवेदन पत्र दायित्व करते हुए अनुपस्थित
किरा राधा के कि हार करीत को समाप्त किया
जाय, साथ ही अपीलकर्ता सहमत एवं अनुमति
नाम के साथ उपर आर करीत को वापस लाना
पाइते हैं।

नोट: प्राप्त आवेदन पत्र एवं उत्तर पक्ष
के विरुद्ध आमिनीय के अनुपस्थित पर हार वादकी
कारवाई समाप्त कर ली है।

Handwritten signature
उपस्थापित मुद्रा
साहेबजी

1230

0.....

1st/2015



न्यायालय अन्तर्गत

In the Court of

उप समाहर्ता भुमि सुधार, साहिबगज। SAHIBGANJ

मुटेशन केस न० 11/ 2016-17

मसो० रेशमा खातुन वैगरह बनाम मो० उसमान

यह अवेदन उभय पक्षकारों की ओर स दायर करते हुए ऐसा अनुरोध करना है

कि -

1. यह कि अपीलार्थियों ने यह अपील श्रीमान के समक्ष मुटेशन केस न० 449/12-13 के विरुद्ध दायर किया है जिसमें आरोप लगाया है किनिबंधित केवाला 3979/12 के माध्यम से की गयी बिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।
2. यह कि अपीलार्थियों ने दुसरे गोतिया लोगों के बहकावे में आकर यह अपील कर दिया था। वास्तविक बात यह कि अपीलार्थियों ने निबंधित केवाला के माध्यम से उपरोक्त केवाला संख्या 3979/12 के माध्यम से मो० उसमान को जमीन सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त कर बिकी किया है एवं मो० उसमान ने अपने नाम से जमीन का नामांतरण भी करा लिया है इसमें अपीलार्थियों को कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि दोनों पक्षकार आपस में भाई बहन है दोनों पक्षों के बीच गांव के गणमान्य लोगों के समक्ष सुलह हो गया है। अपीलार्थीगण अब यह अपील को आगे लडना नहीं चाहते हैं।
4. यह कि अपीलार्थियों ने अपने-अपने हिस्से की जमीन बिकी किया है एवं जो जमीन बचा है उसे भी उचित मुआवजा लेकर रेशमा खातुन व फरजाना खातुन ने भी बिकी करने की सहमति दी है। अब दोनों पक्षकारों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अपीलार्थीगण सुलह के आधार पर यह अपील वाद को वापस लेना चाती है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि दोनो पक्षों की सहमति व सुलह के आधार पर इस अपील वाद को खत्म करने की कृपा की जाए। इस कार्य के दोनों पक्षकार श्रीमान के आभारी रहेंगे।

अपीलार्थीगण का हस्ताक्षर व टीप

उत्तरवादी का हस्ताक्षर व टीप

श्री.मि०
वाकी एवांग्ल

द्वारा दाखिल

अधिवक्ता / अपीलार्थीगण

श्री. रंगल

श्री० उसमान

द्वारा दाखिल

Umar Shukh

अधिवक्ता / उत्तरवादी

26/4/17

V.O.S
D.C.L.R
6-4-17

श्री.मि०
मो० रेशमा
खातुन

